भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 563 का उत्तर

कासरगोड स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन

563. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कासरगोड स्टेशन पर अपर्याप्त सुविधाएं जैसे प्रतीक्षालय, स्वच्छता और सुगम्यता की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अमृत/स्टेशन पुनर्विकास पहल के अंतर्गत नए शेल्टरों, उन्नत प्लेटफार्मों, पीए प्रणालियों और बेहतर प्रकाश व्यवस्था को स्वीकृति देने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत कार्यों की स्थिति क्या है और वर्ष-वार उनके पूरा होने का समय क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): कासरगोड स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किया गया है। स्टेशन पर विकास कार्य अच्छी गति से चल रहा है। प्रवेश पोर्च, टिकट काउंटर, प्लेटफार्म की ऊँचाई बढ़ाना और प्लेटफार्म नंबर 1 और 2/3 की सतह में सुधार, प्लेटफार्म शेल्टर, स्टेशन भवन का सुधार, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिसंचारी क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, कोच संकेतक बोर्ड, ट्रेन संकेतक बोर्ड, रिज़र्व लाउंज और वाटर बूथ के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बैठने की

व्यवस्था, लिफ्ट, एस्केलेटर, रिटायरिंग रूम, दूसरी प्रवेश पार्किंग और 6 मीटर फुट ओवर ब्रिज के कार्य शुरू किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के कार्य सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किया जाता है। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन के समय निम्न श्रेणी के स्टेशनों की तुलना में उच्च श्रेणी के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लानिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन तक पहुँच और परिचलन क्षेत्रों में सुधार
- शहर के दोनों ओर स्टेशन का एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठक व्यवस्था और वाटर-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफ़ॉर्म को ऊपर से कवर करना
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के जरिए स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान

- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमोडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटीव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अभी तक, इस योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 35 स्टेशन केरल राज्य में स्थित हैं। केरल राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
केरल	35	अलाप्पुझा, अंगडीप्पुरम, अंगमालि कालडि, चलाकुडी, चंगनाशेरी, चेंगन्नूर, चिरयिनकीष़, एर्णाकुलम, एर्णाकुलम टाउन, एट्टुमानूर, फेरोक, गुरुवयूर, कण्णूर, कासरगोड, कयानकुलम जं., कोल्लम जं., कोझिकोड, कुट्टीपुरम, मवेलीकारा, नेय्यातिनकारा, नीलांबुर रोड, ओट्टप्पलम, परप्पनंगडी, पय्यानूर, पुनालुर, षोरणूर जं., थलास्सेरी, तिरुवनंतपुरम सैंट्रल, त्रिशूर, तिरूर, तिरुवल्ला, थिरुपनिथुरा, वडकारा, वर्कला शिवगिरी, वडकांचेरी

केरल राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से चल रहा है। अब तक, इस योजना के तहत केरल राज्य के 02 स्टेशनों (चिरायिनकीज, वडाकारा) के कार्य पूरे हो चुके हैं। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य अच्छी गति से चल रहा है और उपरोक्त कुछ स्टेशनों की प्रगति इस प्रकार है:

- **<u>षोरणूर जंक्शन स्टेशन</u>: स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह, शौचालय, नया एसी प्रतीक्षालय, पार्किंग क्षेत्र, लिफ्ट और 6 मीटर फुट ओवर ब्रिज के सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं। फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

- **<u>वडकांचेरी स्टेशन</u>: स्टेशन भवन, प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिभ्रमण क्षेत्र और नए पोर्टिको के सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं। फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

- **<u>कुट्टीपुरम स्टेशन</u>: स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म की सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय, द्वितीय प्रवेशद्वार, परिसंचरण क्षेत्र में सुधार और फुट ओवर ब्रिज के सुधार के कार्य पूरे हो चुके हैं। फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

- **<u>चंगनाशेरी स्टेशन</u>: स्टेशन भवन, प्लेटफ़ॉर्म सतह, प्रवेश द्वार, परिसंचरण क्षेत्र और पार्किंग क्षेत्र के सुधार के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

- **चलाकुडी स्टेशन: स्टेशन भवन, प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिसंचरण क्षेत्र और पार्किंग क्षेत्र के सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं। फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

भारतीय रेल भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" या 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए अपने रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, भारत के राजपत्र में "दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता और सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश" परिपत्रित और अधिसूचित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं जैसे प्रवेश रैम्प, सुगम्य पार्किंग, कम ऊंचाई वाली टिकट खिड़की/सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैम्प/लिफ्टों के साथ भूमिगत पैदल पारपथ/ऊपरी पैदल पुल, ब्रेल संकेतकों सहित मानक प्रदर्श-व्यवस्था और दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय पथ आदि का प्रावधान किया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आबंटन का ब्यौरा कार्य-वार या स्टेशन-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है। जन सुविधाओं का वित्तपोषण सामान्यत: योजना शिर्ष-53 "ग्राहक सुविधा" के अंतर्गत किया जाता है। केरल राज्य दक्षिण रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है और इस जोन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1122 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक (अक्टूबर 2025 तक) 686 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/विकास जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन,

पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

*****